:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूँगरपूर राजस्थान ::
पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार न्योल आर.ए.एस.
मूकदमा नम्बरः– 15/22

1. श्री मोहनलाल पिता उंकार कलाल जाति कलाल निवासी साकोदरा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

बनाम वादी

1. श्रीमती सूर्या पत्नि उंकार रावल निवासी साकोदरा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।
2. श्री पेमा पिता शंकर रावल निवासी साकोदरा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।
3. श्री राकेश पिता उंकार रावल निवासी साकोदरा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।
4. श्री रमेशचन्द्र पिता उंकार कलाल जाति कलाल निवासी साकोदरा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।
5. श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार महोदयजी चिखली तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धार 88, 188, 209 राज. काश्त. अधिनियम

उपस्थितः– अधिवक्ता श्री बालगोविन्द पाटीदार

–:निर्णयः–

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण गावं साकोदरा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान के स्थायी निवासी है।

यह कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम साकोदरा में खाता संख्या 214 खसरा नम्बर 473/1 कुल रकबा .02 बीघा होकर स्थित है। जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 4 अपनी खातेदारी आराजी में काश्त कर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। तथा अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 4 आवश्यक कार्य से बाहर है। वादी का सगा भाई है। जिसे सामान्य पक्षकार बनाया गया है।

यह कि वादी अपने खेतों की सारसंभाल करने गये थे कि उसी समय प्रतिवादी संख्या 1 से 3 जबरन वादीगण की कब्जेशुदा खातेदारी आराजी कॉलम संख्या 2 में अंकित भूमि में जबरन अतिक्रमण करने की नियत से पत्थर डालकर नींव खुदाई का कार्य शुरू कर दिया है। तथा अनाधिकृत रूप से जबरन खातेदारी आराजी में प्रवेश कर खेतों को खुर्द बुर्द कर खेतों को अस्त व्यस्त कर दिया गया जिस पर वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को हाल जमाबंदी की नकल दिखाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 4 की खातेदारी आराजी होने के बारे में समझाने की काफी कोशिश की लेकिन समझने को तैयार नहीं हुए और जबरन लडाई झगडा गाली गलौच कर मारपीट करने को उतारू हो गए और वादी की वादग्रस्त आराजी में विवाद कर कहने लगे तुम्हे उक्त आराजी में घुसने का कोई अधिकार नहीं है तथा वादी को धमकी देने लगे उक्त आराजी मे तो हम तुम्हे काश्त नहीं करने देंगे हम ही काश्त करेंगे। जबरन परकोटा निर्माण करने को उतारू होने लगे। जिस पर वादी ने बताया कि पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के द्वारा विवाद किये जाने पर दिनांक 16.07.1998 को तहसीलदार सीमलवाडा द्वारा रा.टी. एक्ट के तहत प्रतिवादीगण को कॉलम संख्या 2 में अंकित आराजी पर निर्माण कार्य रोककर पाबंद किया गया था। उसके बावजूद अवहेलना कर पुनः नींव खुदाई व परकोटा निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिस पर प्रतिवादीगण को रोकने पर नहीं माने और जबरन वादग्रस्त जमीन में विवाद कर जमीन हडपने की धमकी देने लगे। जिससे वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया जिससे मयाद अवधि में वाद प्रस्तुत है।

यह कि वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 4 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 अतिक्रमण करने की नियत से प्रवेश कर आये दिन झगडा फसाद करते है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 4 की आराजी में काश्त करने में रूकावट पैदा कर रहे है जिससे वादी को अपने कब्जे काश्त की भूमि पर काश्त करने एवं उपयोग उपभोग करने में भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है।

यह कि प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबन्द किये जाना आवश्यक है कि वादी की खातेदारी आराजी ग्राम साकोदरा में खाता संया 214, खसरा नम्बर 473/1 कुल रकबा 0.02 बीघा

में जबरन अतिक्रमण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 न तो स्वयं करे न हीं अपने मित्र, एजेन्ट, परिवार व मजदुरों से करावे। न ही वादी को उनकी खातेदारी आराजी में काश्त करने में रूकावट, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 न तो स्वयं करे न ही अपने मित्र, एजेन्ट, परिवार व मजदुरों से करावे।

यह कि दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा जबरन काश्त कर अतिक्रमण कर लिये जाने पर उसे हटाया जाकर कब्जा वादी को सुपूर्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण जरीये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या 4 बाद तामिल अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 स्वयं उपस्थित आये। पत्रावली जवाब दावे में नियत की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 लम्बे समय से उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 05.7.2022 को इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई।

05.07.2024 को वादी के समर्थन में निम्नलिखित साक्ष्य पेश किए।

1. pw1– श्री मोहनलाल पिता उंकारजी कलाल निवासी साकोदरा तहसील चिखली।
   प्रदर्श 1 – खाते की जमाबंदी।
   प्रदर्श 2 – खसरा नक्शा।
   प्रदर्श 3A- तहसील कॉर्ट सीमलवाडा का आदेश।

उक्त बयानों में बताया गया कि वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 473/1 रकबा 2 बीस्वा होकर स्थित है जिस पर कृषि कार्य करके वादी व वादी का भाई रमेश काबिज है। उक्त आराजी में जबरन कब्जा करने की नियत से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 आये दिन झगडा फसाद करते है व जबरन अतिक्रमण करने के लिए वाद प्रस्तुत करने के 15 दिन पहले प्रतिवादीगण पत्थर डालकर जबरन निव खोद दी थी जिसे श्रीमान आप स्थगन आदेश से रूकवाया गया था। लेकिन प्रतिवादीगण परेशान करते है जिससे उन्हे स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है।
साक्ष्य वादी बन्द की जाकर एक पक्षीय बहस नियत की गई।

विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वक्त बहस कहा कि वादी व उसके भाई की खातेदारी आराजी 473/1 रकबा 2 बिस्वा पर वादी व उसका भाई काबिज है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने वादग्रस्त आराजी पर जबरन कब्जा करने की नियत से नीव खोदकर पत्थर डाल दिये थे जिस पर वादी ने वाद प्रस्तुत किया था तथा स्थगन आदेश पारित किया था। स्थगन आदेश के बावजुद प्रतिवादीगण ने जबरन अतिक्रमण चबूतरा बना दिया जिसे ध्वस्त कर हटाया जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वे वादग्रस्त जमीन में वादीगण को काश्त करने में रूकावट पैदा नहीं करे।

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी व बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में शामिल तथ्यों एवं साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया जाता है कि–

आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबन्द किया जाता है कि वे वादी की खातेदारी आराजी ग्राम साकोदरा में खाता सख्या 214, खसरा नम्बर 473/1 कुल रकबा 0.02 बीघा में जबरन अतिक्रमण न तो स्वयं करे न, ही किसी अन्य से करावे। न ही वादी को उनकी उक्त खातेदारी आराजी में काश्त करने में रूकावट पैदा न तो स्वयं करे, न ही किसी अन्य से करावे। साथ ही दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा उक्त वादी की खातेदारी आराजी में किये गये अतिक्रमण को भी ध्वस्त करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2024 को सरेईजलसा सुनाया गया।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली जि. डूंगरपुर

डिकरी व मुकदमें ईब्तदाई
(सिविल प्रोसिजरकोड एपेन्डियस डी–1)
अज–अदालत :– उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूंगरपुर (राज0)
बईजलास– राकेश कुमार न्योल आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 15/22 दायर दिनांक :–20.05.2022
निर्णय दिनांक :–19.07.2024

1. श्री मोहनलाल पिता उंकार कलाल जाति कलाल निवासी साकोदरा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

वादी

बनाम

1. श्रीमती सूर्या पत्नि उंकार रावल निवासी साकोदरा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।
2. श्री पेमा पिता शंकर रावल निवासी साकोदरा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।
3. श्री राकेश पिता उंकार रावल निवासी साकोदरा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।
4. श्री रमेशचन्द्र पिता उंकार कलाल जाति कलाल निवासी साकोदरा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।
5. श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार महोदयजी चिखली तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 व 209 राज. काश्त. अधिनियम

उपस्थितः– अधिवक्ता श्री बालगोविंद पाटीदार वादी की ओर से।

प्रकरण में डिकी दी जाती है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबन्द किया जाता है कि वे वादी की खातेदारी आराजी ग्राम साकोदरा में खाता सख्या 214, खसरा नम्बर 473/1 कुल रकबा 0.02 बीघा में जबरन अतिक्रमण न तो स्वयं करे न, ही किसी अन्य से करावे। न ही वादी को उनकी उक्त खातेदारी आराजी में काश्त करने में रूकावट पैदा न तो स्वयं करे, न ही किसी अन्य से करावे। साथ ही दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा उक्त वादी की खातेदारी आराजी में किये गये अतिक्रमण को भी ध्वस्त करने के आदेश दिये जाते है।

दस्तखत व मुहर अदालत में आज दिनांक 19.07.2024 को जारी की गई।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली डूंगरपुर

मुदई	रूपया/पैसा	मद्दायला	रूपया/पैसा
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूते मेहनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बाबत इजराय मुत्तफरीक	00	स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबुते महनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बाबत इजराय मुत्तफरीक	00

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली डूंगरपुर